Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

फ़रवरी 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

05/02/2024 से 11/02/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत में असहिष्णुता बनाम बहुलवादी नागरिक समाज का मार्ग	1 - 7
2.	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण : ग्रामीण भारत में स्वच्छता चमत्कार का एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण	7 - 12
3.	सहकारी संघवाद की ओर केंद्र – राज्य वित्तीय संबंध और वित्त आयोग	13 - 18
4.	बाल अश्लीलता : एक संगीन अपराध	19 - 23
5.	राजकोषीय समेकन	23 - 29
6.	आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)	29 - 36

करंट अफेयर्स
फ़रवरी 2024

भारत में असहिष्णुता बनाम बहुलवादी नागरिक समाज का मार्ग

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारत की राजव्यवस्था एवं शासन , राज्य के नीति – निर्देशक सिद्धांत (DPSP), भारतीय संविधान की उद्देशिका/ प्रस्तावना, पहचान एवं नागरिकता, सुशासन , राज्य का बहुलवादी सिद्धांत।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत की नई संसद भवन के उद्घाटन सत्र के दौरान, संसद – सदस्यों (सांसदों) को भारतीय संविधान की प्रतियां उपहार में दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उपहार में दी गई भारतीय संविधान की प्रतियों की प्रस्तावना में **'समाजवादी'** और **'धर्मनिरपेक्ष'** शब्दों को हटा दिया गया था।
- इसके बाद पूरे भारत के नागरिक समाज में इस बात पर बहस केंद्रित हो गई कि क्या इनमें से कोई भी शब्द भारत के संविधान की सच्ची भावना को परिभाषित करता है?
- भारतीय संविधान की उद्देशिका / प्रस्तावना के शुरुआती शब्दों का अर्थ ही है कि – **' हम भारत के लोग '।**

भारतीय संविधान की उद्देशिका/ प्रस्तावना :

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी , पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी,

संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

भारतीय संविधान की उद्देशिका/ प्रस्तावना में निहित मुख्य शब्द

मुख्य शब्दावली – अर्थ

सार्वभौम – सार्वभौम।
समाजवादी – लोकतांत्रिक समाजवाद जहां निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र एक साथ काम कर सकते हैं।
धर्मनिरपेक्ष – प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता।
लोकतांत्रिक – सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास रहती है।
गणतंत्र – राज्य / देश का मुखिया या अध्यक्ष चुना जाता है।
न्याय सामाजिक- आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लोगों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता।
स्वतंत्रता – विचार, विश्वास, आस्था और पूजा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ।
समानता – अवसर की समानता अर्थात राज्य अपने नागरिकों के साथ भाषा , लिंग , धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
बन्धुत्व – देश की एकता और अखंडता के साथ आपस में भाईचारा ।

- भारत पर किसी भी बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है और राज्य के पास अपनी स्वतंत्र सत्ता है, इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के नागरिकों के पास राज्य के प्रमुखों और अन्य प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति है और उनकी आलोचना करने की भी शक्ति है।
- भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के राज्य की प्रकृति बताई गई है। वे हैं – **समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।**
- संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और समानता जैसे उद्देश्य भी शामिल हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, **"संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है ।"**
- संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के. एम. मुंशी ने प्रस्तावना को 'हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल' बताया । इसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को **"संविधान की आत्मा"** कहा ।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) :

संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में DPSP शामिल है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों के बारे में बताता है।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय संविधान में निहित निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिये गए हैं। गौरतलब यह है कि आयरलैंड ने स्वयं ही यह सिद्धांत स्पेन के संविधान से लिया था।
- ऐसे विचार को मानव अधिकारों की घोषणा और अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणाओं के साथ-साथ सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा में देखा जा सकता है।

- भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसी तरह के दिशा-निर्देश प्रदान किये गए थे।

सुशासन :

- सुशासन का तात्पर्य जनता के प्रति उत्तरदायी एक अच्छी शासन व्यवस्था से है। व्यवहार में इसका संबंध उन सभी प्रक्रियाओं से है; जिनके द्वारा समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का मौका मिले।
- योजना आयोग तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा सुशासन की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है।

सुशासन की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण।
- सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा प्रशासन में जनता की भागीदारी।
- सामाजिक-आर्थिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता।
- प्रशासन की मितव्ययता तथा कार्यकुशलता।
- प्रशासन में नैतिकता।
- विधि के शासन की स्थापना।
- समाज के वंचित वर्गों के हितों का संवर्धन।
- पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विकास पर बल ।
- नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह तथा सामाजिक उद्देश्य से निर्मित सहकारी संगठन नागरिक समाज के उदाहरण है।
- वर्तमान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ये संगठन जनता से जुड़कर जनता की वास्तविक इच्छा को सरकार के सामने रखते हैं और शासन में जनभागीदारी को बढ़ावा देकर सुशासन की अवधारणा को लागू करते हैं। पारदर्शिता की दिशा में मील का पत्थर माने जाने वाला सूचना का अधिकार कानून, सिविल सोसाइटी के सूचना अधिकार आंदोलन का ही परिणाम है। इसके अलावा प्रसिद्ध लोकपाल बिल को पारित किये जाने में भी अन्ना हजारे के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी ने अहम योगदान दिया है। ये जनता को सरकारी नीतियों, कार्यक्रम और कमियों से परिचित करा कर शासन में जवाबदेहिता को भी बढ़ाते हैं। नैतिक रुझानों से प्रतिबद्ध होने के कारण कई निःस्वार्थ संगठन प्रशासन में नैतिक मूल्यों की स्थापना भी करते हैं। इसके अलावा गैर-सरकारी संगठन के रूप में सरकार की कई योजनाओं का कुशल – क्रियान्वयन कर ये प्रशासन की गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं।
- जैसे – बेटी बचाओ – बेटी पढाओ या आयुष्मान भारत योजना या नारी शक्ति वंदन योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुशासन का उत्कृष्ट उदहारण है ।
- भारत में सुशासन में नागरिक समाज की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

Pluralism (बहुलवाद)

20 वी शताब्दी में बहुलवाद का उदय सम्प्रभुता के एकलवादी सिद्धान्त के विरूद्ध प्रतिक्रियास्वरूप हुआ। बहुलवाद एक प्रतिकियास्वरूप सिद्धान्त है। बहुलवाद वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार समाज मे आज्ञापालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नही होती,बल्कि वह अनेक समूहों में बिखर जाती है।ये समूह मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताए पूरी करने का दावा करते हैं।

बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन **समाजशास्त्री गीयर्क तथा बिर्टिश विद्वान मेटलेंड** को है, जिन्हें आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक कहा जाता है।

बहुलतावादी सिद्धांत :

- बहुलवादी समाज एक ऐसा समाज है जहां अद्वितीय विचारधाराओं और मूल्यों वाले कई समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं और शासन प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं। बहुलवादी समाज में समूह संस्कृति, धर्म या सामान्य विचारधाराओं और मूल्यों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- संप्रभुता की एकलवादी धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ, उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाये रखना चाहती है, किन्तु राज्य की संप्रभुता का अंत करना आवश्यक मानती है।
- बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता सम्प्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व

राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वरन् राज्य के साथ-साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को सम्पूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रसिद्द विद्वान हेसियो (Hasio) ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि – **"बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है, जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए।"**

प्रमुख बहुलवादी विचारक :

- अनेक लेखकों और विचारकों द्वारा बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें गियर्क, मैटलैण्ड, फिगिस, डिग्विट, क्रेव, पाल बंकर, ए. डी. लिण्डले, डरखैम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर, जी. डी. एच. कोल और हैराल्ड लास्की का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।

बहुलवाद की प्रमुख मान्यताएं (सिद्धांत) :

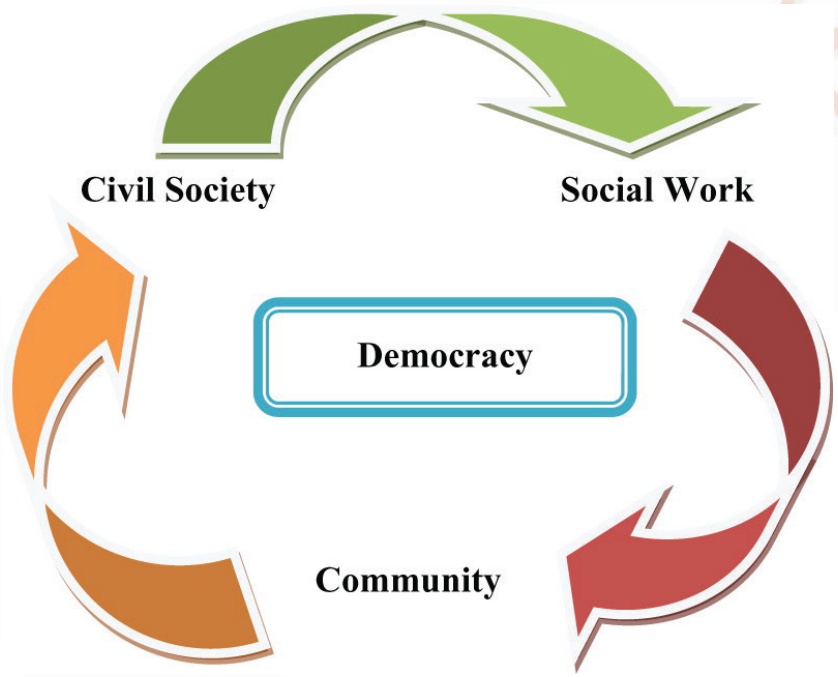

- **राज्य केवल एक समुदाय है :** बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भाँति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानवीय जीवन की आवश्यकताएँ बहुमुखी होती हैं और राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। राज्य का कार्य मुख्यतया जीवन के राजनीतिक पहलू से सम्बन्धित है और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतन्त्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का यथेष्ठ विकास कर सकें।
- **बहुलवादी राज्य और समाज में अन्तर करते हैं :** आदर्शवादियों की भाँति बहुलवादी राज्य और समाज को एक नहीं मानते हैं वरन् उन्हें विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है। राज्य समाज का एक ऐसा अंगमात्र है जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता।
- **बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं :** बहुलवाद असीमित सम्प्रभुता का खण्डन करता है और आन्तरिक व बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सम्प्रभुता को सीमित मानता है। आन्तरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। इस प्रकार बहुलवाद आन्तरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में राज्य की निरंकुश शक्ति का विरोधी है।
- **बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है :** बहुलवादी सम्प्रभुता के परम्परागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को

राज्य से स्वतन्त्र और उच्च मानते हैं। इस सम्बन्ध में फ्रांसीसी विचारक डिग्विट और डच विचारक क्रैव के विचार उल्लेखनीय हैं। डिग्विट (Dugvit) के अनुसार, 'विधि राजनीतिक संगठन से स्वतन्त्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। विधि के बिना सामाजिक एकता या संगठन या मनुष्यों का एक-दूसरे पर निर्भर करना सम्भव नहीं है। राज्य का व्यक्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है। विधि राज्य को सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता।' क्रैब ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं।

- **बहुलवाद विकेन्द्रीकरण में विश्वास करता है :** बहुलवाद आदर्शवादी दर्शन की भाँति केन्द्रित राज्य में विश्वास नहीं करता है वरन् यह विकेन्द्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता है। बहुलवाद के अनुसार, स्थानीय समस्याएँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान शक्ति के केन्द्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता है। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि अपनी केन्द्रित सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेन्द्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाये।
- **बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है :** बहुलवादी राज्य की निरंकुश सत्ता का विरोध तो करते हैं, किन्तु अराजकतावाद या साम्यवाद की भाँति वे उसको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं। राष्ट्र का अन्त करने के स्थान पर ये राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। बहुलवादियों के अनुसार सम्प्रभुता का अद्वैतवादी(एकलवाद) सिद्धान्त 'कोरी मूर्खता' के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक बहुलवादी समाज के राज्य का स्वरूप तथा महत्व वैसा ही होगा, जैसा कि अन्य संघों तथा संस्थाओं का। बहुलवादी अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जायेगा, किन्तु वे राज्य को उस उग्र तथा निरंकुश रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसका प्रतिपादन 'एकलवादी विचारकों' के द्वारा किया गया है।
- **बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है :** बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी जनतंत्रात्मक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली का प्रयोग स्वीकार नहीं करता है। आरम्भ से लेकर अन्त तक उसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान में है। वास्तव में, बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है, जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो। प्रभुसत्ता के अन्य संघों में समान वितरण को वे जनतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते हैं।
- **बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है :** बहुलवादी विचारक जी. डी. एच. कोल प्रजातंत्र में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का विशेष समर्थक हैं। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर चुने गये व्यक्ति वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधित्व की यही पद्धति उचित कही जा सकती है, जिसका आधार व्यवसाय हो। एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके पास रहने वाला वकील अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता जितना कि दूर स्थित क्षेत्र का निवासी एक कृषक, जो उसकी कठिनाइयों को समझता है। इसी कारण बहुलवादियों के अनुसार चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर ही निश्चित किए जाने चाहिए।

बहुलवाद की आलोचना :

- **बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है :** बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। यदि प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लिया जाये और उन्हें सम्प्रभुता का आनुपातिक अधिकार भी समर्पित कर दिया जाये तो समाज में कानूनविहीन स्थिति उत्पन्न हो जायगी। बहुलवादी विचारक भी इस तथ्य से परिचित हैं। इसी कारण सम्प्रभुता का समुदायों में विभाजन करने के बाद भी बहुलवाद राज्य को समाज के विभिन्न समुदायों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, किन्तु राज्य के द्वारा उस समय तक इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति प्राप्त न हो।
- **बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है :** बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। यह समझना गलत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से सर्वथा पृथक् होता है और मानवीय कार्यों को ऐसे विभागों में विभक्त किया जा सकता है जिनका कि एक-दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध न हो। समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारम्परिक संघर्ष नितान्त स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में, यदि समाज में कोई अंतिम वैधानिक सत्ता न हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के कारण एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जायगा, जिसमें मानवीय प्रगति लगभग असम्भव ही हो जायेगी। अतः बहुलवादियों का यह समझना असत्य है कि प्रत्येक समुदाय बिना किसी संघर्ष के अपने कर्तव्यों को निभाता रहेगा।
- **सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हैं :** बहुलवादी विचारधारा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर का मान लिया गया है। प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मान लेना बहुलवादियों की एक भारी भूल है। वास्तव में, राज्य संस्था के अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य सभी समुदायों से भिन्न और विशेष होती है।
- **बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता है :** बहुलवाद की आलोचना का एक आधार यह भी है कि बहुलवाद जिस निरंकुश प्रभुसत्ता पर आक्रमण करता है, उसका प्रतिपादन हीगल को छोड़कर राज्य सत्ता के अन्य किसी भी समर्थक द्वारा नहीं किया गया है। बोदां, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन आदि सभी विचारक राज्य की सम्प्रभुता पर प्राकृतिक, नैतिक या व्यावहारिक

कुछ-न-कुछ नियन्त्रण अवश्य ही स्वीकार करते हैं। उनके कथन का सारांश केवल यही है कि सम्प्रभुता अपने सदृश अन्य किसी शक्ति का अस्तित्व सहन नहीं कर सकती और यह एक अकाट्य सत्य है।

- **बहुलवाद अन्तरविरोधों से भरा है :** बहुलवाद के विरुद्ध एक गम्भीर बात यह है कि बहुलवादी विचारधारा अन्तर्विरोधों से भरी पड़ी है। बहुलवादी सैद्धान्तिक रूप से तो राज्य की शक्तियों को कम करके उसे अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं, किन्तु जब वे व्यवहार पर आते हैं तो यह स्वीकार करते हैं कि किसी एक संस्था को सम्प्रभु बनाये बिना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वे परोक्ष रूप में राजकीय सम्प्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं, यह बात सभी बहुलवादी विचारकों में देखी जा सकती है।
- **बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा :** बहुलवादियों की यह भ्रान्ति है कि अन्य समुदायों पर से राज्य का नियन्त्रण हटा लेने पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतन्त्रता का वातावरण उपलब्ध होगा, वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। जो लोग समुदायों की स्वतन्त्रता के नाम पर राज्य के नियन्त्रण का विरोध करते हैं, वे अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में राज्य से भी आगे बढ़ सकते हैं। मध्य युग में चर्च ने अपने से भिन्न मत रखने वाले व्यक्तियों का भीषण दमन किया था, और ब्रेनी तथा गैलीलियो को अपने ही देशवासियों के हाथों भीषण यातनाएँ सहन करनी पड़ी थीं।
- **राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता :** आलोचकों द्वारा लिण्डसे, बार्कर और अन्य बहुलवादियों के इस कथन की कटु आलोचना की गयी है कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है। राज्य और अन्य समुदायों की स्थिति में आधारभूत अंतर है। जबकि अन्य समुदायों का सम्बन्ध मनुष्य के किसी विशेष हित के साथ होता है, जबकि राज्य का सम्बन्ध उनके सर्वमान्य या व्यापक हितों के साथ होता है। इसी कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई समुदाय मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक होने का दावा नहीं कर सकता।
- **बहुलवाद देशभक्ति विरोधी है :** प्रभुसत्ता तथा राज्य के महत्व को कम करने तथा अपनी विचारधारा में अन्तर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है, जिसे उचित और व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। राज्यसत्ता के विरुद्ध चाहे कुछ भी क्यों न कहा जाये और चाहे अन्तर्राष्ट्रीय विचारों का कितना ही महत्व माना जाये, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय के राज्यों में देशभक्ति का अपना स्थान और महत्व है।

बहुलवाद का महत्व :

- राजसत्ता के खण्डित स्वरूप तथा संघों के महत्व का एक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करने पर भी बहुलवादी दर्शन में सत्य का बहुत कुछ अंश है। गैटिल के शब्दों में – **"बहुलवाद कठोर और सैद्धान्तिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धान्त के विरुद्ध एक सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है।"**
- बहुलवाद अराजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है। यह समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए वरन् इन समुदायों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन की बहिर्मुखी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद के इस विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है। उचित रूप में बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी वरन् राज्य की कार्यक्षमता में भी आवश्यक रूप से वृद्धि होगी।

- भारत में असहिष्णुता पर जारी बहस के बाद भी भारत एक बहुलवादी समाज है और भारतीय संविधान विविधता एवं सभी पंथों और धर्मों का बराबर सम्मान करने वाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की गारंटी सुनिश्चित करता है।
- वर्ष 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने कहा था कि – **" किसी संस्कृति, धर्म या भाषा को नीचा दिखाना भारतीय संस्कृति नहीं है।' उन्होंने प्रत्येक नागरिक से भारत को कमजोर करने के प्रयासों को विफल करने और एकजुट होने और राष्ट्र के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया।"**
- उपराष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया था कि – **" भारत के सभ्यतागत मूल्य सभी संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता सिखाते हैं और छिटपुट घटनाएं भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कमजोर नहीं कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने के प्रयासों की निंदा करते हुए श्री नायडु ने दोहराया कि भारत का संसदीय लोकतंत्र और बहुलवादी मूल्य दुनिया के लिए अनुकरणीय मॉडल हैं।"**
- भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुलतावादी अवधारणा का उत्कृष्ट उदहारण यह है कि भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ है , जिसमें 4635 से अधिक समुदाय हैं जिसमें से 78 प्रतिशत न केवल भाषायी एवं सांस्कृतिक श्रेणियां हैं अपितु सामाजिक श्रेणियां भी हैं। हमारी आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी 19.4 प्रतिशत है जिसमें मुसलमानों का प्रतिशत 13.4 प्रतिशत है जो संख्या की दृष्टि से लगभग 160 मिलियन है। मानव विविधताएं अनुक्रम एवं स्थानीय दोनों रूप में हैं। कानूनी तौर पर हम, संप्रभु लोग वास्तव में विखंडित 'हम' हैं, जो ऊबाऊ अंतरालों द्वारा बंटे हुए हैं जिसे अभी पाटना है। हमारे लगभग 22 प्रतिशत लोग गरीबी की आधिकारिक रेखा से नीचे रहते हैं तथा हाल के सुधारों के बावजूद कुल मिलाकर हमारी आबादी के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संकेतक वांछित से बहुत नीचे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के संविधान में वर्णित "'हम भारत के लोग " संविधान के किस भाग से लिया गया है ?

1. भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार से।
2. भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य से ।
3. भारत के संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची से ।
4. भारत के संविधान की उद्देशिका / प्रस्तावना से ।

उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ?

(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) केवल 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. किसी भी लोकतांत्रिक राज्य/ राष्ट्र में बहुलतावादी सिद्धांत का क्या महत्व है ? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि भारत में असहिष्णुता के संदर्भ में बहुलतावादी सिद्धांत किस प्रकार भारत की एकता और अखंडता को संरक्षित करती है ?

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण : ग्रामीण भारत में स्वच्छता चमत्कार का एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक न्याय।

ख़बरों में क्यों ?

- दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता पहल स्वच्छ भारत मिशन को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन की श्रद्धांजलि के रूप में, 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत को प्राप्त करने के लिए 2014 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। जिससे भारत में वर्ष 2014 में जो 39 % थी वह वर्ष 2019 में लगभग 100% हो गया। क्योंकि तब तक भारत के लगभग 6 लाख गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए स्वच्छता सर्वेक्षणों के अध्ययनों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) अभियान ने भारतीय समाज में आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और इस अभियान ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के ईज्जत रूपी स्वाभिमान में योगदान दिया है। इससे एसडीजी 6.2 (स्वच्छता और स्वच्छता) की उपलब्धि भी निर्धारित समय सीमा से 11 साल पहले ही पूरी हो गई ।

- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें खुले में शौच से मुक्ति के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा जिसमें खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अप-शिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) भी शामिल होगा। इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जायेगा कि एक व्यक्ति भी न छूटे और हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे।

- भारत में स्वच्छता की कमी को एक प्रमुख समस्या के रूप में माना गया है। भारत की आजादी के 67 साल बाद भी, 2014 में, भारत में लगभग 10 करोड़ ग्रामीण और लगभग एक करोड़ शहरी परिवारों के पास स्वच्छ शौचालय नहीं थे और 55 करोड़ लोग अर्थात देश की लगभग आधी आबादी उस समय तक खुले में शौच जाते थे।

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने सभी राज्यों को यह सलाह दी है कि वे इस बात की पुनः पुष्टि कर लें कि ऐसा कोई ग्रामीण घर न हो, जो शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहा हो और यह सुनिश्चित करने के दौरान अगर ऐसे किसी घर की पहचान होती है तो उसको व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाये ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पीछे न छूटे।

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (फेज 2) का मुख्य उद्देश्य सभी 6 लाख ग्रामीण गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और 2024-25 तक ओडीएफ प्लस के रूप में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करके स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है।

- पिछले दशक में, स्वच्छता कवरेज में सुधार करना भारत में प्रमुख सार्वजनिक नीति चमत्कारों में से एक रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित 17 सतत विकास लक्ष्यों में पानी और स्वच्छता तक पहुंच का लक्ष्य 6 है।

- सार्वजनिक स्वच्छता कार्यक्रमों का देश में एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1986 में अत्यधिक सब्सिडी वाले

केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के शुभारंभ के साथ हुई थी।

- 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान ने उच्च सब्सिडी वाली व्यवस्था से कम सब्सिडी वाली व्यवस्था में बदलाव को चिह्नित किया।
- सार्वजनिक स्वच्छता कार्यक्रम 2014 में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत एक मिशन के रूप में विकसित हुआ, ताकि अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाया जा सके।एसबीएम के तहत उपलब्धियों से उत्साहित होकर, सरकार ने एसबीएम-जी के दूसरे चरण की शुरुआत की। यहां ध्यान ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर और पहले छूट गए घरों को कवर करके प्रारंभिक उपलब्धियों की स्थिरता पर था। सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक भारत को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 85% गाँव ओडीएफ प्लस बन गए हैं। फिर भी, इस प्रभावशाली प्रदर्शन को व्यवहारिक परिवर्तन के नजरिए से भी देखने की जरूरत है, जो सही मायने में स्थिरता लाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियान के मुख्य प्रावधान :

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण- दो को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। यह वित्त पोषण के विभिन्न आयामों के बीच तालमेल का एक अच्छा मॉडल होगा क्योंकि इसमें से 52,497 करोड़ रुपये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में से आवंटित किए जाएंगे जबकि शेष धनराशि को विशेष कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडलों के तहत जारी की जा रही धनराशियों से वित्त पोषित किया जाएगा।
- ओडीएफ प्लस गांवों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छूटे हुए और नए उभरते परिवारों को आईएचएचएल तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान के तहत खाद बनाने और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से बा-योडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन; प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण सुविधाएं; ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए सोख्ता गड्ढों, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब आदि का निर्माण; और इस कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों में मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों/मल कीचड़ उपचार संयंत्रों (एसटीपी/एफएसटीपी) में सह-उपचार के माध्यम से मल कीचड़ प्रबंधन और एफए-सटीपी की स्थापना करना भी शामिल है।
- ओडीएफ प्लस गांवों के तीन प्रगतिशील चरण होते हैं। जिसमें एक गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बरकरार रखता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करता है, उसे ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव माना जाता है। वहीं एक ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है, उसे एक उभरताओडीएफ प्लस गांव माना जाता है। दूसरी ओर, एक ओडीएफ प्लस मॉडल गांव वह है जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बरकरार रखता है और इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार नये पात्र घरों को 12,000 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसए-लडब्ल्यूएम) के लिए वित्त पोषण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है और घरों की संख्या को प्रति व्यक्ति आय से बदल दिया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों (जीपी) को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण (सीएमएससी) के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपये कर दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत फंड शेयरिंग का ढांचा :

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) कार्यक्रम को परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो शीघ्र ही राज्यों को जारी किए जाएंगे। केन्द्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का ढांचा पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के बीच 90:10, अन्य राज्यों के बीच 60:40 और अन्य केन्द्र शासित प्रदेश के बीच 100:00 है ।

ओडीएफ प्लस की निगरानी का संकेतक आधार :

ओडीएफ प्लस के एसएलडब्ल्यूएम घटक की निगरानी निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-आउटकम संकेतकों के आधार पर की जाती है –

1. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन।**
2. **जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management- SLWM) (जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है)।**
3. **धूसर जल प्रबंधन और**
4. **मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन।**

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) का दूसरा चरण रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से प्रोत्साहन देना जारी रखेगा, साथ ही एसएलडब्ल्यूएम के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, शोधन संयंत्र आदि को प्रोत्साहन देना जारी रखेगा।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण दो के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से ग्रामीण भारत को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने और इससे देश में ग्रामीणों के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार करने में

मदद मिलेगी।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत शौचालय निर्माण के लिए आवश्यक अहर्ताएं :

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत शौचालय निर्माण के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं आवश्यक है –

1. शौचालय का निर्माण एक बार में ही पूरा करना होगा, जिसमें डबल पिट शौचालय, पानी की टंकी, हाथ धोने के लिए एक वाश बेशिन तथा डबल पिट शौचालय,अवश्य हो।
2. पिट यानि गड्ढ़े में ईटों से चिनाई या सीमेंट का गोल खंड डाला जरूर होना चाहिए।
3. डबल पिट के शौचालय में प्रत्येक गड्ढ़े का साइज 4 फुट गहरा, 4 फुट लम्बा तथा 4 फुट चौड़ा होना चाहिये तथा एक गड्ढ़े से दूसरे गड्ढ़े की दूरी कम से कम 3 फीट होनी चाहिए।
4. इन दोनों पिट शौचालय के नजदीक होने चाहिए जो कि एक सेंक्शन बॉक्स से जुड़े होने चाहिए। जिनकी आपस में दूरी कम से कम एक मीटर होनी चाहिए तथा ये पिट किसी नल या पानी के स्त्रोत से कम से कम 15 मीटर यानि 40-45 फीट की दूरी पर अवश्य होना चाहिए।
5. शौचालय के लाभार्थी का बैंक में खाता अवश्य खुला होना चाहिए ताकि शौचालय निर्माण के लिए आबंटित राशि डी बी टी के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जा सके।
6. एक राशन कार्ड पर केवल एक ही शौचालय का निर्माण होगा।

शौचालय निर्माण में आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :

1. आवेदक को शौचालय बनवाने से पहले गांव के सरपंच या ग्राम सचिव को जानकारी देना अनिवार्य हैं। शौचालय निर्माण के उपरान्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक सर्वप्रथम गाँव के सरपंच या अतिरिक्त उपायुक्त (ए.डी.सी.) कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकता है ।
2. आवेदक फॉर्म में मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी को भरकर सरपंच के द्वारा प्रमाणित करवाने के उपरांत या तो सरपंच के पास या सीधे अतिरिक्त उपायुक्त (ए.डी.सी.) कार्यालय में जमा कर सकता है। आवेदक को फॉर्म के साथ शौचालय के साथ अपनी एक रंगीन फोटो भी लगानी पड़ती है।

3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शौचालय का सर्वेक्षण किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि शौचालय ठीक से बना है या नहीं। इसके साथ ही यह भी जांच की जाती है कि शौचालय का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। जांच के उपरांत संतुष्ट होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता की राशि को व्यक्ति के बैंक खाते में जमा करा दिया जाता है।

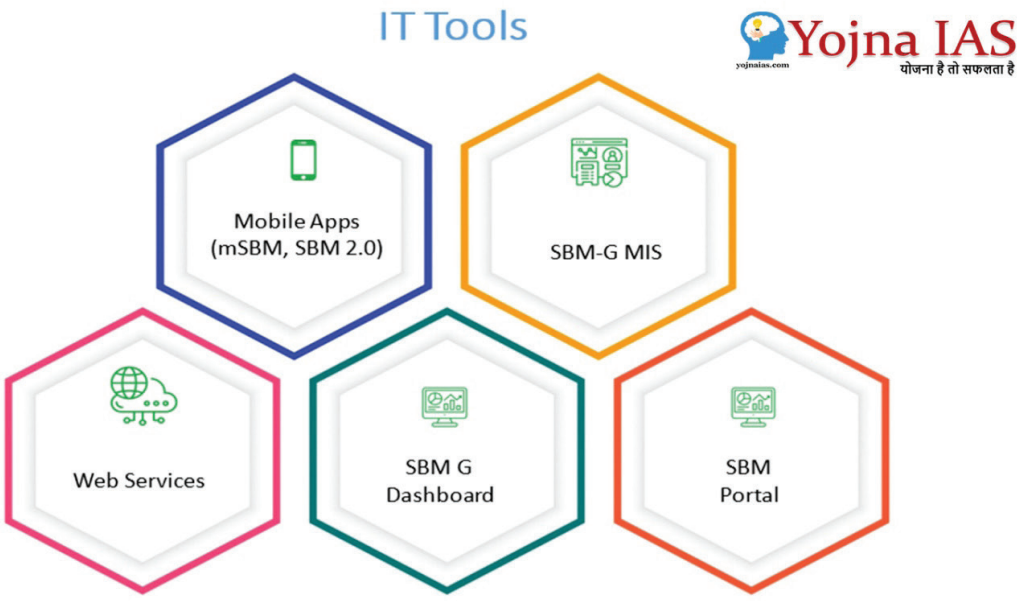

निष्कर्ष / समाधान :

- अगर सरकार 2024-25 तक भारत को खुले में शौच मुक्त से खुले में शौच मुक्त प्लस स्थिति में बदलना चाहती है तो उसे मौजूदा कार्यक्रम में व्याप्त कमियों की पहचान करने की जरूरत है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2 के लिये मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने से ग्रामीण भारत को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने और देश में ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 भारत में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस गांवों के सात चरण होते हैं।
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण में एक राशन कार्ड पर केवल एक ही शौचालय का निर्माण होगा।
4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण में लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए एकमुश्त पचास हजार की राशि प्रदान की जाती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 2 और 4
(D) केवल 1 और 3

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि इस कार्यक्रम ने किस प्रकार भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण निभाई है ?

सहकारी संघवाद की ओर केंद्र – राज्य वित्तीय संबंध और वित्त आयोग

स्त्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, सरकारी नीतियां और केन्द्रीय हस्त-क्षेप, सहकारी – संघवाद, वित्तीय हस्तांतरण , केंद्र – राज्य वित्तीय संबंध , वित्त आयोग, लोकलुभावनवाद।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझा करने की विधि की सिफारिश करने के लिए **केंद्र ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को सोलहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।** जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक निकाय है।
- अरविंद पनगढ़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं और उन्होंने भारत की योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में वर्ष 2015 से 2017 तक कार्य किया है ।
- फरवरी 2024 में अंतरिम बजट 2024 – 25 को पेश करने के दौरान भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि – **" राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है क्योंकि भारत में राज्यों को प्रत्यक्ष करों का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है।"**
- वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पूरक सवाल के जवाब में यह बात कही।
- भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि – **"राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) 100 फीसदी राज्यों को जाता है। केंद्र सरकार कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस मामले में केंद्र का न कोई अधिकार होता है और न ही कोई भूमिका होती है।"**
- भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि – **" मुझे अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार यह बदलने का अधिकार नहीं है कि मुझे कोई राज्य पसंद है या नहीं। वित्त आयोग की सिफ़ारिशों का क्रियान्वयन बिना किसी भय या पक्षपात के किया जाता है। भारत में कर हस्तांतरण प्रणाली ठीक तरह से काम कर रही है।"**
- वित्त मंत्री ने अधीर रंजन चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि – **"आयोग विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें करता है।"**
- भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि – **"वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) खासकर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) भी राज्यों को शत-प्रतिशत हस्तांतरित कर दिया जाता है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का संग्रह इसलिए किया जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक अंतरराज्य भुगतान करने होते हैं।"**
- अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु , बिहार , पश्चिम बंगाल और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ कर हस्तांतरण की कटौती में केंद्र सरकार ने अन्याय किया है। केंद्र सरकार के राज्यों को कुल वित्तीय हस्तांतरण के कदम सहकारी संघवाद को कमजोर कर रहे हैं।
- 2021-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की गई थी, जो 2020-21 के लिए समान थी। यह 2015-20 के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 42% हिस्सेदारी से कम है।
- चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद भी (2015-16) की शुरुआत से ही, केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण कम कर रही है। गौरतलब यह है कि चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व का 42% राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है,

जो कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिश से 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) और लद्दाख को हस्तांतरण को छोड़कर, 41% की इस सिफारिश को बरकरार रखा, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था। यदि हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के शेयरों को शामिल करें तो यह 42% होना चाहिए। केंद्र सरकार ने न केवल राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण कम किया बल्कि अपने विवेकाधीन व्यय को बढ़ाने के लिए अपने कुल राजस्व में भी वृद्धि की। केंद्र सरकार के विवेकाधीन व्यय राज्यों के बजट के माध्यम से नहीं किए जा रहे हैं, और इसलिए, यह विभिन्न राज्यों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करता हैं।

भारत में केंद्र – राज्य संबंध के तहत कर – राजस्व की सिफारिश करने का प्रावधान :

- भारत का वित्त आयोग केंद्र सरकार के शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश करता है। सकल और शुद्ध कर राजस्व के बीच अंतर में संग्रह लागत, केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा जाने वाला कर राजस्व और उपकर और अधिभार शामिल हैं। यद्यपि चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में क्रमशः 42% और 41% राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश की थी, सकल कर राजस्व का हिस्सा 2015-16 में केवल 35% और 2023-24 में 30% था। जबकि केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व 2015-16 में ₹14.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹33.6 लाख करोड़ हो गया। केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा ₹5.1 लाख करोड़ से बढ़कर ₹10.2 लाख करोड़ हो गया।

वित्त आयोग की संरचना :

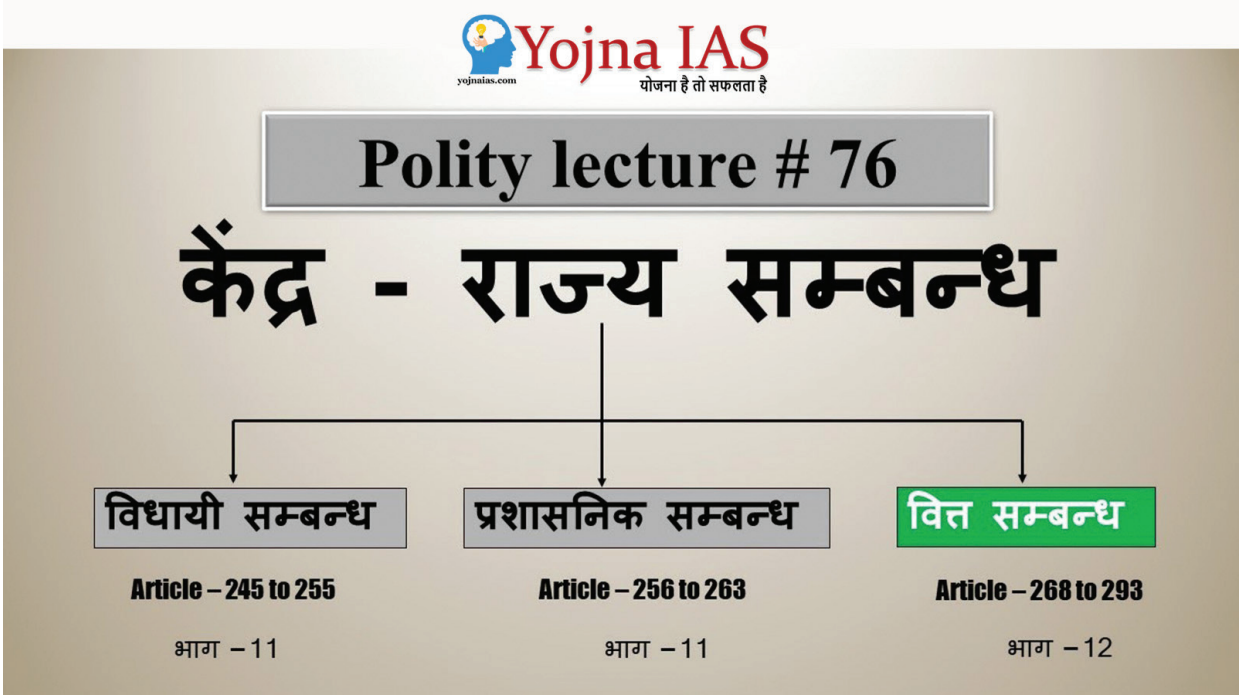

- भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारत का वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के साथ-साथ राज्यों की सहायता अनुदान से संबंधित विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति को अनुशंसाएँ देने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय है।
- भारत में प्रत्येक पाँच वर्ष पर या उससे पूर्व भी जैसा वह आवश्यक समझे,भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन, किया जाता है।

भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए आवश्यक योग्यताएं :

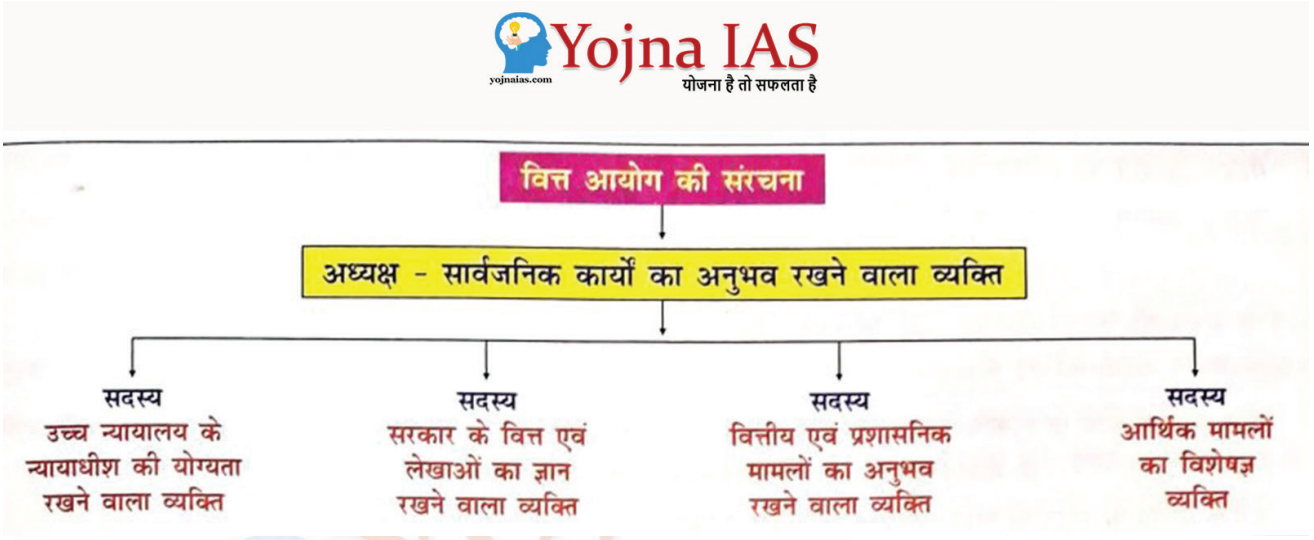

वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन सार्वजनिक मामलों के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है। चार अन्य सदस्यों का चयन उन लोगों में से किया जाता है। जिनका निम्नलिखित योग्यताएं हों –

1. वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हों, या कार्यरत हों, या न्यायाधीश के रूप में चयन की योग्यता रखते हों।
2. वह सरकारी वित्त या खातों का ज्ञान रखता हो। या
3. वह प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञता में अनुभव रखता हो; या
4. उनके पास अर्थशास्त्र और उसके सभी उपागम का विशेष ज्ञान रखता हो।

राजकोषीय संघवाद का महत्व :

- वर्ष 2016 में भारत के संविधान में हुए 122वें संवैधानिक संशोधन और उसके बाद 2017 में जीएसटी शासन की शुरूआत ने भारत के राजकोषीय परिदृश्य को फिर से नया स्वरुप प्रदान किया है। इस बदलाव ने उत्पादन – आधारित कराधान को उपभोग – उन्मुख दृष्टिकोण के साथ बदल दिया है यह बदलाव 16वें वित्त आयोग के गठन, कर – साझाकरण सिद्धांतों और कराधान में क्षेत्रीय संतुलन को संबोधित करते हुए राजकोषीय संघवाद के पुनर्मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य एक संघीय या विकेन्द्रीकृत प्रणाली के भीतर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों और उपलब्ध संसाधनों के विभाजन से है।
- राजकोषीय संघवाद में वैसे सिद्धांत और तंत्र शामिल होते हैं जिनके द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों, विशेष रूप से राष्ट्रीय (केंद्रीय) और उपराष्ट्रीय (राज्य या क्षेत्रीय) स्तरों पर राजस्व उत्पन्न करना, एकत्र करना, साझा करना और खर्च करना शामिल होता है।
- एक संघीय गणराज्य के रूप में भारत बहुस्तरीय शासन प्रणाली के साथ कार्य करता है, और राजकोषीय संघवाद इस व्यवस्था का एक अनिवार्य पहलू होता है।

16वें वित्त आयोग के समक्ष संभावित चुनौतियाँ :

कुशल कर संग्रह : जीएसटी के तहत संघ और राज्यों द्वारा करों के संयुक्त संग्रह को देखते हुए, कर संग्रह की लागत में भिन्नता (7 से

10 प्रतिशत तक) एक चुनौती के रूप में उभरी है। जिसका समाधान करने की अत्यंत जरूरत है।

कर-साझाकरण सिद्धांतों पर दोबारा गौर करना : 16वें वित्त आयोग को जीएसटी शासन के तहत उत्पादन-आधारित से उपभोग-आधारित कराधान में बदलाव के कारण कर-साझाकरण सिद्धांतों की पुन: जांच और पुन: डिजाइन करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

कर विभाजन और वितरित करने के मानदंडों को पुनः डिज़ाइन करना : भारत के वित्त आयोग को कर राजस्व और अनुदान के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच विभाज्य पूल को वितरित करने के मानदंडों को फिर से डिज़ाइन करने की चुनौती का समाधान करना चाहिए।

आवश्यक मुआवजा योजना की समीक्षा करना : पिछले छह वर्षों में जीएसटी राजस्व के प्रदर्शन को देखते हुए आयोग द्वारा जीएसटी मुआवजा योजना की आवश्यकता, व्यवहार्यता और वांछनीयता की समीक्षा की जानी चाहिए।

जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के बीच संस्थागत संबंध: जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के बीच औपचारिक संस्थागत संबंध स्थापित करना उभरती संघीय वित्तीय संरचना में एक चुनौती प्रस्तुत करता है। जिसका संस्थागत समाधान करने की जरूरत है।

जीएसटी व्यवस्था में बदलाव : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था की शुरूआत भारत की कराधान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। उत्पादन-आधारित कर प्रणाली से उपभोग-आधारित कर प्रणाली में परिवर्तन के लिए इस नए कर प्रतिमान के साथ संरेखित करने के लिए राजकोषीय संघवाद के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

समान संसाधन आवंटन : राज्यों के बीच संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए, संसाधन आवंटन के मानदंडों पर फिर से विचार करना अनिवार्य है। पुनर्मूल्यांकन में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों और जीएसटी ढांचे के भीतर प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

राजस्व संग्रह में दक्षता और पारदर्शिता की जरूरत : एक अद्यतन राजकोषीय संघवाद ढांचे से राजस्व संग्रह, साझाकरण और उपयोग में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ सकती है। इससे राजकोषीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अक्षमताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

वास्तविकताओं के अनुरूप अनुकूलन: भारत का आर्थिक परिदृश्य उभरती चुनौतियों और अवसरों के साथ गतिशील है। एक व्यापक पुनर्मूल्यांकन राजकोषीय नीतियों को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें।

राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना : राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, एक पुनर्मूल्यांकन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन किया जाना चाहिए। यह राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने के उपायों की सिफारिश कर सकता है।

हितधारकों के हितों का टकराव : कर दरों पर जीएसटी परिषद के निर्णय वित्त आयोग की राजस्व – साझाकरण गणना को प्रभावित कर सकते हैं।

वित्त आयोग की सिफारिशों की व्यवहार्यता : भारत में केंद्र सरकार अक्सर कर – हस्तांतरण और राजकोषीय लक्ष्यों पर वित्त आयोग के सुझावों को अपनाता है, जबकि कभी – कभी अन्य अनुचित सिफारिशों को नजरअंदाज किया जा सकता है।

भारत में लोकलुभावनवाद (POPULISM) का परिणाम :

राज्यों पर बढ़ता ऋण राजकोषीय असंतुलन : भारतीय राज्यों का औसत ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) वर्ष 2014 से 2022 के बीच 22.2% से बढ़कर 34.5% हो गया है। जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे लोकलुभावनवादी राज्यों में इसके स्तर में तेज़ वृद्धि देखी गई है ।

राजस्व में कमी: और उच्च घाटा: भारतीय राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% तक पहुँच गया था, जो मुफ्त बिजली, ऋण माफी और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर लोकलुभावन व्यय के कारण हुआ। जिससे भारत में कर राजस्व का लोकलुभावन योजनाओं में निहित खर्चों के साथ तालमेल नहीं रह सका। फलतः जहाँ कई राज्य इस अंतराल को भरने के लिए केंद्र सरकार के 'बेलआउट' पर निर्भर हो गए या फिर उससे उधार लेने पर अत्यधिक निर्भर हो गए।जिनके चिंताजनक परिणाम उत्पन्न हुए।

मूल्य नियंत्रण एवं संरक्षणवादी उपायों के कारण निवेश में गिरावट: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में वर्ष 2022 में 10% की गिरावट आई, जिसे कुछ विश्लेषकों द्वारा मूल्य नियंत्रण एवं संरक्षणवादी उपायों जैसी लोकलुभावन नीतियों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता का परिणाम बताया गया।

रोज़गार सृजन में कमी होना : भारत में वर्ष 2023 में सरकारी व्यय में वृद्धि के बावजूद भारत की बेरोज़गारी दर 7% से ऊपर रही, जो दर्शाता है कि लोकलुभावन नीतियों से कोई उल्लेखनीय रोज़गार सृजन नहीं हुआ।

आपूर्ति शृंखलाओं और उपभोक्ता कल्याण का प्रभावित होना : कृषि जैसे क्षेत्रों में मूल्य नियंत्रण उत्पादन को हतोत्साहित करता है और

कमी उत्पन्न करता है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने के साथ ही उपभोक्ता कल्याण को भी प्रभावित करता है।

भ्रष्टाचार में वृद्धि: और शासन का क्षरण : **' ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index)** में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 80 से गिरकर वर्ष 2022 में 85 हो गई, जो संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन को कमज़ोर करने वाले लोकलुभावनवादी शब्दाडंबर की वृद्धि से संगत है।

शासन व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी : सार्वजनिक मामले सूचकांक जो सरकारी निर्णयन में पारदर्शिता की माप करता है, के अनुसार प्रबल लोकलुभावनवादी नेताओं वाले भारत के कई राज्यों में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता में गिरावट को दर्शाता है।

राज्यों द्वारा अपनाई कुछ प्रमुख लोकलुभावन नीतियाँ :

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की ओर वापसी:

- भारत के कुछ राज्यों ने वर्ष 2004 में शुरू की गई भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की ओर वापसी करना राजकोषीय घाटा की दृष्टिकोण से चिंताजनक हैं।
- पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के पेंशन के प्रति सरकार की देनदारियाँ अनिश्चित काल तक होती हैं, जो नई पेंशन योजना के ठीक विपरीत है जहाँ देनदारी कर्मचारियों के सेवा काल तक ही सीमित होती है।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा कराये गए एक आंतरिक अध्ययन से यह पता चलता है कि OPS के परिणामस्वरूप NPS की तुलना में 4.5 गुना अधिक देनदारी होगी, जिससे वर्ष 2060 तक सकल घरेलू उत्पाद पर 0.9% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
- भारतीय राज्यों के इस कदम को विकास के लिए बाधाकारी एवं भावी पीढ़ियों के हितों के लिए समझौताकारी तथा देश के विकास के लिए प्रतिगामी माना जा रहा है।

सब्सिडी के कारण राज्यों का बढ़ता राजकोषीय घाटा :

- भारत के कई राज्यों में मुफ्त बिजली जैसे लोकलुभावन योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के कारण राज्य में घाटे की स्थिति बनी हुई है। जो राजकोषीय घाटे के दृष्टिकोण से चिंताजनक है।
- राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी पर राज्यों का औसत व्यय उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.87% है, जबकि कुछ राज्य सब्सिडी के तहत इससे कहीं अधिक राशि का व्यय कर रहे हैं। जिससे उन राज्यों में राजकोषीय घाटा की स्थिति बरक़रार है। जैसे पंजाब में यह 2.35% है जबकि राजस्थान में यह 1.92% है।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारत में वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय हस्तांतरण निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, विभिन्न चुनौतियों और सीमाओं के कारण उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन अक्सर अपेक्षाओं से कम हो जाता है। वित्त आयोगों के पिछले अनुभवों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपेक्षाओं को वास्तविक परिणामों के साथ संरेखित करने के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक है।

- ऐसे समय में जब केंद्र-राज्य संबंधों में संघीय विश्वास अपनी सबसे कमजोर कड़ी पर है और इसका गहरा राजनीतिकरण हो चुका है, यह देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद पनगढ़िया और उनकी टीम अपने लिए आने वाले कठिन काम को कैसे आगे बढ़ाती है।
- भारत के मौन राजकोषीय संकट और कमजोर संघवाद के बीच, 16वें वित्त आयोग के सामने एक कठिन कार्य है।
- यदि कोई राज्य लोकलुभावनवाद की राह चुनता है और बिना वित्तपोषण के उधार लेता है तो उसे इसके परिणाम भी भुगतने चाहिए। किसी राज्य का लोकलुभावनवाद उसके अपने करदाताओं द्वारा वित्तपोषित होना चाहिए, दूसरों द्वारा नहीं होना चाहिए। RBI का सुझाव है कि राजकोषीय हस्तांतरण को सुधारों और राजकोषीय उत्तरदायित्व से जोड़ा जाना चाहिए।
- विविध दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए राज्य सरकारों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों सहित प्रासंगिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श में शामिल होकर मौजूदा कर- हस्तांतरण में मौजूद विसंगतियों की पहचान उसका समाधान खोजने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि किसी भी राज्य या अन्य हितधारकों का हित प्रभावित न हो।
- वित्त आयोग लोकलुभावनवादी उपायों के परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में भूमिका निभा सकता है। वित्त आयोग मुफ्त उपहार या फ्रीबीज़ से वित्त पर पड़ने वाले तनाव और आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करने के माध्यम से सूचना-संपन्न सार्वजनिक चर्चा में योगदान दे सकता है जहाँ राजनीतिक दलों पर उत्तरदायी राजकोषीय नीतियों को अपनाने का एक दबाव बना रहेगा।
- वित्त आयोग सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देकर और राजकोषीय मामलों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित कर वित्तीय प्रशासन के लिये अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण में योगदान दे सकता है।
- वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य की नियमित रूप से समीक्षा कर सकता है और उभरते आर्थिक परिदृश्य के आधार पर आवधिक अनुशंसाएँ भी कर सकता है। यह भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न चुनौतियों (जैस कोविड-19 महामारी जैसे बाह्य कारकों के प्रभाव) से निपटने में लचीलेपन की अनुमति देगा।
- भारत का वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण करने के लिए आपसी संवाद को बढ़ावा देने में मध्यस्थ एवं सहायक के रूप में कार्य कर सकता है।
- वित्त आयोग राजकोषीय समेकन पर बल देकर और राज्यों के टैक्स एफर्ट (tax effort) को मापकर उतरदायी वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित कर सकता है। यह अपनी राजकोषीय क्षमता पर विचार किए बिना लोकलुभावनवाद का सहारा लेने वाले राज्यों के लिए एक निवारक उपाय के रूप में कार्य कर सकता है।
- भारत में 15वें वित्त आयोग ने टैक्स एफर्ट (Own Tax to GSDP ratio) द्वारा मापी गई राजकोषीय दक्षता को केवल 2.5% महत्त्व दिया था। 16वें वित्त आयोग द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
2. वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
3. भारत का वित्त आयोग केंद्र सरकार के शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश करता है।
4. नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को सोलहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3
(B). केवल 1 और 3
(C). केवल 2 और 4
(D). केवल 2, 3 और 4

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के वित्त आयोग की संरचना और कार्य को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में लोकलुभावनवाद की नीतियां कैसे भारत के राजकोषीय घाटा, सहकारी संघवाद और केंद्र – राज्य संबंध को प्रभावित करता है ?

बाल अश्लीलता : एक संगीन अपराध

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो (NCRB), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021, बाल दुर्व्यवहार, बाल अश्लीलता।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने एस. हरीश बनाम पुलिस निरीक्षक मामले में न्यायिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और माना कि बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 67 B के तहत अपराध नहीं था।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाल पोर्नोग्राफ़ी देखना अपने आप में कोई अपराध नहीं था क्योंकि आरोपी ने इसे केवल अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर डाउनलोड किया था और निजी तौर पर देखा था।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का भी उल्लेख किया जहां यह माना गया था कि निजी स्थान पर अश्लील साहित्य देखना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है।
- यह मामला 2016 में अलुवा पुलिस द्वारा एक युवक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से संबंधित है क्योंकि वह रात में सड़क के किनारे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील सामग्री देख रहा था।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि बच्चों को अकेले में अश्लील सामग्री देखना **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012** के तहत अपराध नहीं है।

पोर्नोग्राफी :

- पोर्नोग्राफी को शॉर्ट में पॉर्न कहते हैं। इसमें ऐसे वीडियो, पत्रिकाएं, पुस्तकें या अन्य सामग्री जिनमें सेक्शुअल सामग्री होता है और जिनसे व्यक्ति की मन में सेक्स की भावना बढ़ती है, उसे पोर्नोग्राफी कहते हैं। पॉर्न वीडियो को आम बोलचाल में **'ब्लू फिल्म'** भी कहते हैं। जिन लोगों को पॉर्न या ब्लू फिल्म बोलने में हिचक होती है, वो इन्हें **'ऐसी-वैसी'** फिल्में कहते हैं।
- पोर्नोग्राफी (Pornography) एक ऐसी कला है, जिसमें लोगों की नंगी तस्वीरें या अश्लील वीडियो (Nude Video) दिखाई जाती हैं। यह तस्वीरें या वीडियो अक्सर सेक्स या सेक्सुअल गतिविधियों को दिखाते हुए बनाई जाती हैं। इस तरह की कला ज्यादातर व्यापक रूप से इंटरनेट पर मौजूद होती है।

बाल अश्लीलता :

- बाल अश्लीलता एक अपराध है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे का यौन आग्रह या नाबालिग की भागीदारी वाली अश्लील

सामग्री का निर्माण करना, बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन यौन संबंध बनाने के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकार्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसमें शामिल हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की पृष्ठभूमि :

- एर्नाकुलम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को एक पत्र प्राप्त हुआ कि याचिकाकर्ता (हरीश) ने अपने मोबाइल फोन पर बच्चों वाली अश्लील सामग्री डाउनलोड की है। मामले में उस तारीख का उल्लेख नहीं है जब याचिकाकर्ता ने अश्लील सामग्री डाउनलोड की थी।
- पत्र प्राप्त होने पर, अलुवा पुलिस द्वारा 29 जनवरी, 2020 को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67बी और POCSO अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
- जांच के दौरान याचिकाकर्ता का फोन फोरेंसिक साइंस विभाग को भेजा गया. इसमें बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली दो फाइलों की पहचान की गई। उन दो वीडियो में यह पाया गया कि दो नाबालिग लड़के एक लड़की या वयस्क महिला के साथ यौन गतिविधि में शामिल थे।
- POCSO अधिनियम एक बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है।
- जांच के निष्कर्ष के बाद और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, एक जिला अदालत ने आईटी अधिनियम की धारा 67 Bऔर POCSO अधिनियम की धारा 14(1) के तहत इन अपराधों का स्वतः संज्ञान लिया।
- इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की।
- 4 जनवरी 2024 को याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने पेश हुआ। जब मामला दोबारा उठाया गया तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि उसे पोर्नोग्राफी देखने की आदत है। लेकिन उसने कभी भी किसी अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने या दूसरों तक प्रसारित करने का प्रयास नहीं किया थी । याचिकाकर्ता ने केवल अश्लील सामग्री डाउनलोड की थी और उसे अकेले में गोपनीयता में देखा था।

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय का निहितार्थ :

- 11 जनवरी 2024 को, मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के फोन पर उपलब्ध अश्लील सामग्री की जांच की और पाया कि केवल दो वीडियो को बाल अश्लीलता के रूप में पहचाना जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि वीडियो न तो प्रकाशित किए गए और न ही दूसरों को प्रसारित किए गए।
- इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि POCSO अधिनियम की धारा 14(1) के तहत किए जाने वाले अपराध के लिएयाचिकाकर्ता केवल धारा 14 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसने किसी बच्चे का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों के लिए किया हो।
- इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कहा कि बाल पोर्नोग्राफ़ी वीडियो देखना 'सख्ती से' POCSO की धारा 14(1) के दायरे में नहीं आता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों के लिए नहीं किया है, इसलिए इसे केवल आरोपी व्यक्ति की ओर से नैतिक पतन के रूप में माना जा सकता है। "
- इसके अलावा, अदालत ने माना कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67B के तहत अपराध के लिए, वीडियो सामग्री को " **प्रकाशित, प्रसारित, बनाई गई सामग्री होनी चाहिए जिसमें बच्चों को यौन कृत्य या आचरण में चित्रित किया गया हो। इस प्रावधान को ध्यान से पढ़ने से बाल पोर्नोग्राफी देखना, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67 B के तहत अपराध नहीं बनता है।** "
- इसके अतिरिक्त, अदालत ने माना कि – **"धारा 67 B उस मामले को सम्मिलित नहीं करती है जहां किसी व्यक्ति ने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में केवल बाल अश्लीलता डाउनलोड की है और उसने कुछ और किए बिना उसे देखा है। "**
- मद्रास उच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के 5 सितंबर, 2023 के फैसला के आलोक में अपना निर्णय दिया कि – **"दूसरों को दिखाए बिना निजी तौर पर अश्लील साहित्य देखना भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों की बिक्री, आदि) के तहत अपराध नहीं है। "** .
- इन सभी विचारों के आधार पर, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67बी और POCSO अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कोई अपराध नहीं किया है।
- उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सलाह दी है कि अगर वह अभी भी खुद को पोर्नोग्राफी देखने का आदी पाता है तो वह काउंसलिंग में शामिल हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी गई।

भारत में बाल अश्लीलता की स्थिति :

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत में बाल अश्लीलता के 738 मामले थे जो वर्ष 2021 में बढ़कर 969 हो गए थे। बाल अश्लीलता के मामलों की संख्या में प्रति वर्ष होने वाली बढ़ोतरी भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण की भयावह स्थिति की ओर संकेत करता है, जो अत्यंत चिंताजनक है और इस पर नियंत्रण करने की सख्त जरूरत है।

भारत में पोर्नोग्राफी से संबंधित वास्तविक स्थिति :

- भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने, इसके प्रदर्शन आदि पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पॉर्न देखने वाला देश है।
- वर्ष 2018 में आई एक खबर के मुताबिक, 2017 से 2018 के बीच भारत में पॉर्न देखने की दर में 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। भारत के छोटे शहरों में काफी अधिक संख्या में लोग इसे देख रहे हैं।
- 2018 में भारत सरकार ने करीब 850 पॉर्न वेबसाइटों पर बैन लगा दिया था। ऐसा पहले भी किया गया है। लेकिन इसका कोई खास प्रभाव कभी नहीं पड़ा क्योंकि ये वेबसाइटें नए-नए डोमेन बनाकर भारतीय बाजार में आ जाती हैं.।
- वर्तमान समय में विभिन्न ऐप्स के जरिए, वॉट्सऐप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और अन्य सोशल मीडिया के जरिए यूजर इनको देख ही लेता है।

भारत में पोर्नोग्राफी से जुड़े कानूनी प्रावधान :

भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध के तौर पर माना जाता है और इस पर कई कानून हैं।

- **भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000** भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012** में पोर्नोग्राफी से जुड़े कई प्रावधान हैं।
- **भारतीय दण्ड संहिता 1860 :** भारत की प्राचीनतम दण्ड संहिता में, बाल यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता को अपराध के रूप में माना गया है।
- **धारा 354, 354A, 354B, 354C और 376एबी में बाल यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के लिए सजा दी गई है।**
- **बाल अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 :** यह अधिनियम भारत के सभी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में, बाल यौन उत्पीड़न, बाल अश्लीलता और बाल विपत्ति जैसे अपराधों के लिए कानून हैं।
- **इंफांट लेबर (प्रतिबंध) अधिनियम, 2016:** यह अधिनियम बच्चों को श्रम से मुक्ति देने के लिए बनाया गया है। जो भी व्यक्ति बाल श्रम, बाल यौन उत्पीड़न और बाल अश्लीलता जैसे अपराधों में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, यह अधिनियम उन लोगों के खिलाफ होता है।

भारत में बाल अश्लीलता संबंधी कानून :

- बाल पोर्नोग्राफी पर कानून आईटी अधिनियम के साथ-साथ POCSO अधिनियम द्वारा विनियमित है।
- **POCSO अधिनियम की धारा 14** उन मामलों में लागू की जाती है जहां किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए लिप्त किया जाता है
- **POCSO अधिनियम की धारा 15** उन मामलों में लागू की जाती है जहां बाल अश्लील सामग्री सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संग्रहीत की जाती है या रखी जाती है। धारा 15 की व्याख्या से पता चलता है कि बाल अश्लील सामग्री डाउनलोड करना गैरकानूनी है क्योंकि कानून के अनुसार सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए, नष्ट कर दिया जाना चाहिए या संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
- पॉर्न का कंटेंट रेप या शारीरिक शोषण वाला है तो **IT ऐक्ट, सेक्शन 67 A** के तहत कार्रवाई होगी. चाइल्ड पॉर्न प्रसारित करने वाले के खिलाफ **IT ऐक्ट की धारा 67 B** के तहत कार्रवाई होगी. अगर कोई किसी के सेक्स करने या सेक्शुअल एक्टिविटी का वीडियो बनाता है तो ये क्राइम है. इसमें **IT ऐक्ट के सेक्शन 66 E** के तहत कार्रवाई होती है।.
- **IT कानून की धारा 67 A के तहत अपराध की गंभीरता को देखते हुए पहले अपराध के लिए 5 साल तक जेल की सज़ा या/ और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। .दूसरी बार यही अपराध करने पर जेल की सजा की अवधि बढ़कर 7 साल हो जाती है, लेकिन जुर्माना 10 लाख ही रहता है।**
- **IT ऐक्ट की धारा 67 A और 67 B गैर-ज़मानती हैं।** चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में POCSO कानून के तहत भी कार्रवाई होती है।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारत में बाल अश्लीलता डाउनलोड करना अपराध है।
- बाल अश्लीलता सामग्री डाउनलोड करने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए।
- वर्तमान समय में किशोरों को गैजेट्स से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो बिना किसी सेंसर के उन पर अश्लील सामग्री देखने की लत सहित सभी प्रकार की जानकारी की बमबारी कर रहे हैं। अतः इससे निपटने के लिए जरूरी एवं सख्त कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है।
- पोर्न देखने की लत, अन्य पदार्थों या ' चीजों ' की तरह ही है , जिनकी लोगों को लत लग सकती है, 'ऑपरेंट कंडीशनिंग' के सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है और इसका समाधान किया जा सकता है।
- इंटरनेट पर स्पष्ट यौन सामग्री की पहुंच के कारण किशोरों में पोर्न की बढ़ती लत चिंता का विषय बन रही है। एक अध्ययन के अनुसार आज 10 में से 09 नाबालिग लड़के किसी न किसी रूप में अश्लील सामग्री के संपर्क में हैं। वहीं, 10 में से छह लड़कियां पोर्नोग्राफी के संपर्क में आती हैं।
- वर्तमान समय में भारत में 12-17 वर्ष की आयु के किशोर लड़कों में पोर्न की लत विकसित होने का खतरा सबसे अधिक है। औसतन, एक पुरुष का पहली बार पोर्नोग्राफ़ी से संपर्क 12 साल की उम्र में ही हो जाता है।
- भारत में बच्चों द्वारा अश्लील सामग्री देखने के लिए बच्चों को दंडित करने के बजाय, समाज को इतना परिपक्व होना चाहिए कि वह उन्हें इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए उचित सलाह, शिक्षा और परामर्श दे सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में बाल अश्लीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में बाल अश्लीलता डाउनलोड करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
2. IT ऐक्ट की धारा 67 A और 67 B ज़मानत योग्य होता हैं। भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में POCSO कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती है।
3. भारत में पास्को अधिनियम एक बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो सोलह वर्ष या सोलह वर्ष से कम आयु का है।
4. भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने, इसके प्रदर्शन आदि पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक पॉर्न देखने वाला देश है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 3
(D) केवल 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बाल अश्लीलता से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रसार के दौर में भारत में बाल अश्लीलता की रोकथाम के लिए के बनाए गए कानून वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है? बाल अश्लीलता की रोकथाम के लिए तर्कसंगत समाधान भी प्रस्तुत कीजिए।

राजकोषीय समेकन

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राजकोषीय समेकन, राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद, प्रत्यक्ष कर , अप्रत्यक्ष कर ।

खबरों में क्यों ?

- फरवरी 2024 में भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट को संसद में पेश करते हुए बताया था कि इस वित्तीय वर्ष में भारत के राजकोषीय घाटे को सीमित करने का लक्ष्य रखा है।
- ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपने राष्ट्रीय ऋणों से निपटने में भारत वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए वित्त मंत्रालय ने अपने अंतरिम बजट 2024-25 में भारत के राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2024-25 में **सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product – GDP)** के 5.1% तक कम करने का निर्णय लिया है।
- अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने 2024-25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक और 2025-26 तक 4.5% से कम करने की सरकार के लक्ष्य के बारे में बताया जिससे कई आर्थिक विश्लेषकों को आश्चर्य हुआ, जिन्होंने थोड़ा अधिक घाटे के लक्ष्य की उम्मीद की थी।
- सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.8 प्रतिशत तक सीमित रखना है, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए पहले बजट में 5.9 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था और कर राजस्व में मजबूत उछाल के कारण 2025-26 तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 4.5 प्रतिशत से नीचे सीमित रखने पर जोर दिया गया है।
- प्रत्यक्ष कर राजस्व में तेज वृद्धि देखी गई है, आयकर इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान से 13.5 प्रतिशत अधिक और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) राजस्व बजट अनुमान से 15.8 प्रतिशत अधिक देखा गया है।
- अगले वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें आयकर और कॉर्पोरेट कर शामिल हैं, 13.1 प्रतिशत बढ़कर 21.99 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर राजस्व सालाना आधार पर 17.2 प्रतिशत बढ़कर 19.45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- 2023-24 में आयकर संग्रह में तेज वृद्धि देखी गई है और बजट अनुमान से 1.2 लाख करोड़ रुपये अधिक होने की उम्मीद है, जबकि कॉर्पोरेट कर संग्रह 9.23 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान स्तर पर बनाए रखा गया है। इसके साथ, आयकर राजस्व कॉर्पोरेट कर संग्रह से अधिक देखा जा रहा है, भले ही उन्हें 2023-24 के बजट अनुमान में कॉर्पोरेट कर राजस्व की तुलना में निचले स्तर पर रखा गया था।
- प्रतिभूति लेनदेन कर, जो शेयर बाजारों में व्यापारित प्रतिभूतियों पर लगाया जाता है, 2023-24 के संशोधित अनुमान में बढ़कर

32,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2022-23 में वास्तविक राजस्व से 27.6 प्रतिशत की वृद्धि है। 2024-25 के लिए एसटीटी राजस्व बढ़कर 36,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

- अगले वित्त वर्ष में सरकार का सकल कर राजस्व 11.5 फीसदी बढ़कर 38.31 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. केंद्र का शुद्ध कर राजस्व 2024-25 में लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर 26.02 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसकी तुलना मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 2022-23 में वास्तविक राजस्व की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि से की जाती है। 2024-25 के लिए अनुमानित कर राजस्व की लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि दर 2024-25 के बजट अंकगणित के लिए अनुमानित 10.5 प्रतिशत नाममात्र जीडीपी वृद्धि से बहुत अधिक है।
- कर राजस्व में मजबूत वृद्धि उच्च कर उछाल को दर्शाती है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 1.2 है, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 1.0 थी। 2024-25 के लिए, कर उछाल 1.1 पर देखा गया है।
- अप्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और जीएसटी (क्षतिपूर्ति उपकर सहित) शामिल हैं, से 2024-25 में सरकार को 16.22 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
- चालू वित्तीय वर्ष में, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह का संशोधित अनुमान क्रमशः 2.19 लाख करोड़ रुपये और 3.08 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि जीएसटी संग्रह (क्षतिपूर्ति उपकर सहित) 9.57 लाख करोड़ रुपये के बजटीय स्तर पर अनुमानित है। .
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की संसद में कहा कि – **" सरकार न केवल राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ तालमेल बिठा रही है बल्कि इसे बेहतर भी बना रही है। न केवल राजकोषीय समेकन रोडमैप के साथ तालमेल बिठाना, जो हमने पहले दिया था, बल्कि इसे बेहतर बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है। "**

राजकोषीय घाटा :

- **परिभाषा :** किसी भी सरकार के कुल राजस्व और उसके कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। जब कभी भी सरकार का व्यय उसके द्वारा प्राप्त राजस्व से अधिक हो जाता है, तो सरकार को उस घाटे को पूरा करने के लिए या तो धन उधार लेना पड़ता है या फिर सरकार को अपनी सरकारी संपत्ति बेचनी पड़ती है।
- **राजस्व प्राप्ति का प्राथमिक स्रोत :** किसी भी सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का प्राथमिक स्रोत कर होता है। 2024-25 में कर प्राप्तियां ₹26.02 लाख करोड़ होने की उम्मीद है, जबकि कुल राजस्व ₹30.8 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इसी अवधि के लिए कुल सरकारी व्यय ₹47.66 लाख करोड़ अनुमानित है।

राष्ट्रीय ऋण :

- किसी भी देश का राष्ट्रीय ऋण वह कुल राशि है जो किसी देश की सरकार को अपने ऋणदाताओं को एक निश्चित समय पर देना

होता है।

- सरकारी ऋण में छोटी बचत, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों जैसी योजनाओं के दायित्वों के साथ-साथ घरेलू तथा बाहरी ऋण सहित विभिन्न देनदारियाँ शामिल होती हैं।
- इन देनदारियों में ब्याज भुगतान और मूल राशि का पुनर्भुगतान दोनों शामिल होते हैं, जिससे सरकार के वित्त पर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है।
- यह आम तौर पर ऋण की वह राशि है जो सरकार ने कई वर्षों के राजकोषीय घाटे और घाटे को पाटने के लिये उधार लेने के दौरान जमा की है।
- सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सरकार का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, उसके ऋणदाताओं को बिना किसी परेशानी के भुगतान किये जाने की संभावना उतनी ही कम होगी।

सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण :

- **बाजार से उधार लेना :** सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अपने बांड के माध्यम से बाजार से पैसा उधार लेती है, बाजार से ऋणदाता सरकार द्वारा जारी बांड को खरीदती है। जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। 2024-25 में, केंद्र का लक्ष्य बाजार से ₹14.13 लाख करोड़ उधार लेने का है, जो 2023-24 के लक्ष्य से कम है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से धन प्रदान करना :** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जैसे केंद्रीय बैंक, द्वितीयक बाजार में सरकारी बांड खरीदकर, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को धन प्रदान करके क्रेडिट बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **सरकार की मौद्रिक नीति :** सरकार की मौद्रिक नीतियां भी सरकारों के लिए बाज़ार से पैसा उधार लेने की लागत को कम करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **केंद्रीय बैंक की ऋण दरें :** सरकार के लिए केन्द्रीय बैंक की ऋण दरें भी सरकार की राजकोषीय घाटा को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए – कोविड महामारी से पहले कई देशों में केन्द्रीय बैंक की ऋण दरें लगभग शून्य के करीब थीं, लेकिन वह महामारी के बाद तेज़ी से बढ़ी हैं। इससे सरकारों के लिए पैसा उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है। केन्द्रीय बैंक की ऋण दरों के कारण ही केंद्र – सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के करने के लिए दृढ – संकल्पित है।

राजकोषीय घाटा की भूमिका :

- **मुद्रास्फीति का होना :** उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है, क्योंकि सरकार घाटे को पूरा करने के लिए पैसे

छापने का सहारा ले सकती है। महामारी के दौरान वर्ष 2020 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.17% के उच्च स्तर पर पहुँच गया। तब से इसमें काफी कमी आई है और वर्ष 2023-24 में 5.8% तक पहुँचने की उम्मीद है।

- **ऋणदाताओं के बीच विश्वास पैदा होना :** किसी भी राजकोषीय अनुशासन में , जो कम घाटे के रूप में परिलक्षित होता है, बाजार के ऋणदाताओं के बीच सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ा सकता है। यह बांड के रेटिंग में संभावित रूप से सुधार कर सकता है और उधार लेने की लागत को भी कम कर सकता है। कम राजकोषीय घाटा बेहतर सरकारी राजकोषीय अनुशासन का संकेत देता है। इससे भारत सरकार के बांडों की रेटिंग ऊँची हो सकती है। जब सरकार कर राजस्व पर अधिक निर्भर करती है और कम उधार लेती है, तो इससे ऋणदाता का विश्वास बढ़ता है तथा उधार लेने की लागत कम हो जाती है।
- **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन :** किसी भी परिस्थिति में उच्च राजकोषीय घाटा सरकार की सार्वजनिक ऋण प्रबंधन करने की क्षमता पर दबाव डाल सकता है। इससे भारत का सार्वजनिक ऋण तीव्र गति से सकता है, जिससे देश की वित्तीय प्रबंधन भी प्रभावित होती है ।
- **अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता ऋण प्राप्त करना:** किसी भी सरकार के लिए कम राजकोषीय घाटा की प्रतिपूर्ति के लिए उसे विदेशी बाजारों में अपना बांड जारी करने और सस्ता ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना देता है। इस प्रक्रिया द्वारा भी सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा की प्रतिपूर्ति की जाती है।

राजकोषीय घाटा को मापने का मुख्य तरीका :

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर)।

राजस्व घाटा : किसी भी व्यवसाय में या किसी भी सरकार के लिए राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को घटाकर निर्धारित किया जाता है। अतः

राजस्व घाटा = कुल राजस्व प्राप्तियाँ – कुल राजस्व व्यय।

ऋणात्मक सकल घरेलू उत्पाद अनुपात: ऋणात्मक सकल घरेलू उत्पाद अनुपात किसी देश पर उसकी जीडीपी पर कितना बकाया है को मापने की विधि है । अतः

सकल घरेलू उत्पाद पर ऋण = देश का कुल ऋण / देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद।

राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित कानून :

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढाँचा :

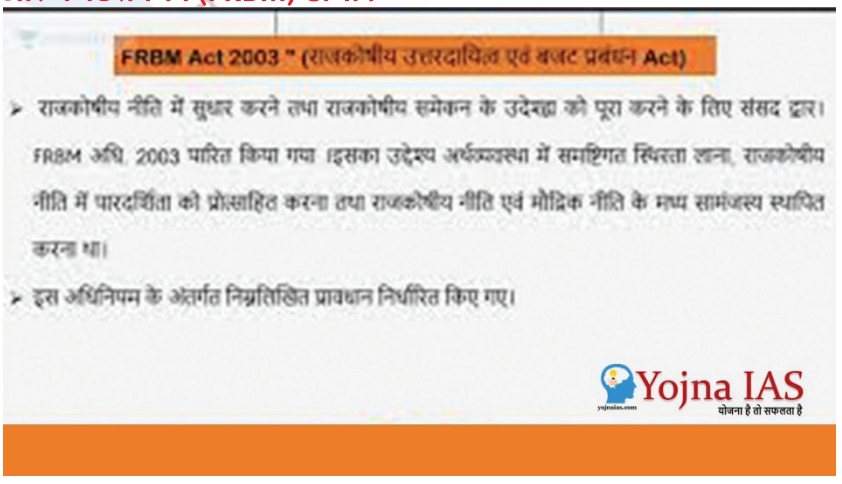

- वर्ष 2003 में स्थापित FRBM अधिनियम ने ऋण कटौती के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60% तक सीमित करना था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) ढाँचा अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप भारत के केंद्र सरकार का बकाया ऋण निर्धारित की गई सीमा से अधिक हो गया।
- FRBM समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने वर्ष 2023 तक सामान्य (संयुक्त) सरकार के लिए ऋण-GDP अनुपात 60% की सिफारिश की है, जिसमें केंद्र सरकार हेतु 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% शामिल है।

भारत में राष्ट्रीय ऋण तथा राजकोषीय घाटा के प्रबंधन के उपाय :

राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना :

- सरकार द्वारा राजस्व संग्रह में सुधार के लिए एवं कर आधार को विस्तारित करने के लिए कर प्रशासन एवं इसका सख्ती से अनुपालन को सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- राजस्व स्रोतों में विविधता लाने हेतु पर्यावरण कर अथवा विलासिता की वस्तुओं पर कर , संपत्ति पर नए कर अथवा शुल्क अधि-रोपित करने की भी आवश्यकता है ।

राजकोषीय अनुशासन तथा सुदृढ़ीकरण :

- राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्यों का अनुपालन करने के लिए FRBM अधिनियम का अनुपालन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सरकार को सतत् सार्वजनिक वित्त सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय घाटे और GDP अनुपात को क्रमिक रूप से कम करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
- सरकार को अपने व्यय को युक्तिसंगत बनाने, राजस्व वृद्धि उपायों तथा सहायिकी में सुधारों के साथ-साथ विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों के कार्यान्वन से ऋण-ग्रहण पर निर्भरता कम होगी तथा राजकोषीय असंतुलन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

ऋण प्रबंधन रणनीतियों का निर्माण करना :

- सरकार द्वारा ऋण-ग्रहण की लागत को अनुकूलित करने तथा पुनर्वित्त जोखिमों को कम करने के लिए एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीति विकसित करने की जरूरत है।
- बाज़ार की अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के निवेशकों के आधार एवं वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है।

संरचनात्मक स्तर पर सुधार :

- अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है जिसमें श्रम बाज़ार सुधार, व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) संबंधी पहल एवं शासन व्यवस्था में सुधार करना शामिल हैं।
- विकास क्षमता में वृद्धि करने तथा राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखने के लिये कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संरच-नात्मक बाधाओं तथा चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

सरकारी व्यय की व्यापक समीक्षा करना :

- सरकार को सार्वजानिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यय को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी व्यय की व्यापक समीक्षा करना चाहिए ।
- देश की वंचित समुदायों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कमज़ोर आबादी के लिए लक्षित समर्थन सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा

गैर-आवश्यक व्यव एवं सहायिकी को कम करने के लिये नीतियाँ बनाना चाहिए ।

निष्कर्ष/ समाधान :

- राजकोषीय सुदृढ़ीकरण उपायों के संयोजन को कार्यान्वित कर भारत राजकोषीय स्थिरता, आर्थिक विकास एवं दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करते हुए अपने राष्ट्रीय ऋण तथा राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है।
- स्थायी राजकोषीय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक स्थिरीकरण प्रयासों तथा दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
- राजकोषीय घाटा, सरकारी राजस्व और व्यय के बीच का अंतर, मुद्रास्फीति, बाजार विश्वास, ऋण प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय उधार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
- आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को कम करने की सरकार की योजना में राजस्व सृजन और व्यय नियंत्रण का एक नाजुक संतुलन शामिल है।
- भारत में सार्वजनिक वित्त को बहाल करने और बाजार का विश्वास बनाए रखने के लिए समेकन योजनाओं और उपायों की घोषणा करना एक शर्त है। भारत में इसका उद्देश्य सरकारी घाटे और ऋण संचय को कम करना है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. राजकोषीय समेकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अपने बांड के माध्यम से बाजार से पैसा उधार लेती है।
2. उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है।
3. सरकार के कुल राजस्व और उसके कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं।
4. सरकारी ऋण में छोटी बचत, भविष्य निधि और विशेष प्रतिभूतियों जैसी योजनाओं के दायित्वों के साथ-साथ घरेलू तथा बाहरी ऋण सहित विभिन्न देनदारियाँ शामिल होती हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3
(B). केवल 2, 3 और 4
(C) इनमें से कोई नहीं।
(D). इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राजकोषीय घाटा और राष्ट्रीय ऋण को परिभाषित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि राजकोषीय समेकन किस प्रकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है ? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास , बैंकिंग और अर्थव्यवस्था, आरबीआई, मौद्रिक नीति समिति, मुद्रास्फीति, रेपो रेट , रिवर्स रेपो रेट, तरलता समायोजन सुविधा, बैंक दर,

नकद आरक्षित अनुपात (CRR), सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR), बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS)।

ख़बरों में क्यों ?

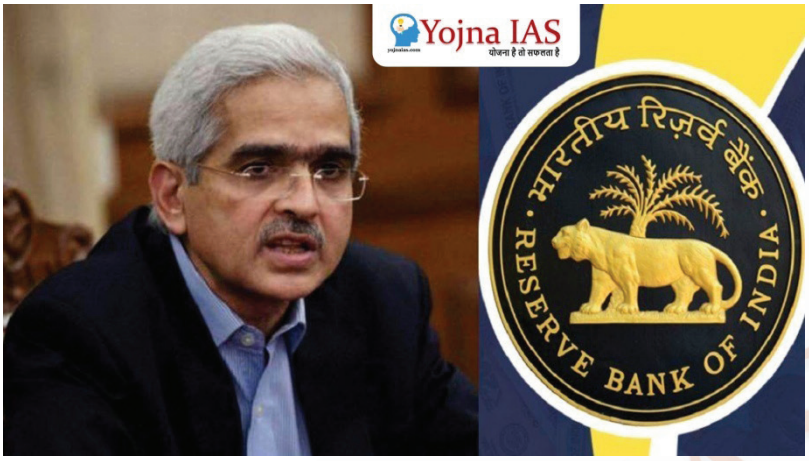

- फरवरी 2024 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखकर और समायोजन वापस लेने 'के अपने रुख पर कायम रहकर 'यह सुनिश्चित कर दिया है कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के अनुरूप हो के साथ – ही – साथ यह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के उद्देश्य को जारी रखने वाला विवेकपूर्ण विकल्प के रूप में चुना गया है।
- आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्यों के बीच हुए मतदान में 5-1 बहुमत के साथ, इसने मौद्रिक नीति को स्पष्ट रूप से अवस्फीतिकारी रखने के लिए प्रतिबद्ध किया है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। खासकर ऐसे समय में जब 'बड़े और दोहराव वाले मूल्य झटके अवस्फीति की गति को बाधित कर रहे हैं'।
- लगातार आई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छठी बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रहने के पीछे, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गति मजबूत बनी हुई है खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितताएं हेडलाइन मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र पर प्रभाव डाल रही हैं।
- मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देने के लिए एमपीसी का बहुमत एकजुट था। इसे खुदरा मुद्रा-स्फीति के हालिया रुझानों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति, जो जुलाई 2023 के 15 महीने के उच्चतम 7.4% से कम होकर अक्टूबर 2023 में 4.87% हो गई थी। हालांकि,यह दिसंबर 2023 में चार महीने के उच्चतम स्तर 5.69% पर पहुंच गई थी ।
- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान 9.53% तक लगाया गया। जो अक्टू-बर 2023 के 6.61% से 292 आधार अंक अधिक है।
- एमपीसी ने जनवरी-मार्च तिमाही में औसत खुदरा मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को घटाकर 5.0% कर दिया है, जो दिसंबर के पूर्वानुमान से 20 आधार अंक कम है, यह दर्शाता है कि नीति निर्माताओं ने रबी की बुआई में सुधार के साथ-साथ मौसमी सुधार से थोड़ी राहत ली है।
- उपभोक्ता मामलों के विभाग का दैनिक मूल्य निगरानी डैशबोर्ड दिखाता है कि दो-तिहाई से अधिक प्रमुख खाद्य पदार्थों की औसत खुदरा कीमत 8 फरवरी 2024 तक साल-दर-साल आधार पर अधिक रही।
- 4% लक्ष्य की ओर मूल्य वृद्धि को स्थायी रूप से धीमा करने या खपत को कम करने का जोखिम उठाने और इस प्रकार विकास की गति को कमजोर करने के अपने संकल्प में नीति निर्माताओं को दृढ़ रहने की जरूरत है ।

मौद्रिक नीति समिति :

- मौद्रिक नीति समिति, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया है।
- मई 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा के कार्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया था। संशोधित RBI अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि भारत सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से हर 5 साल में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। MPC की पहली बैठक 3 अक्टूबर 2016 को मुंबई में आयोजित की गई थी।
- आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया है में केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- धारा 45ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी।
- भारत में मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिए बाध्यकारी होगा।

मौद्रिक नीति समिति की संरचना :

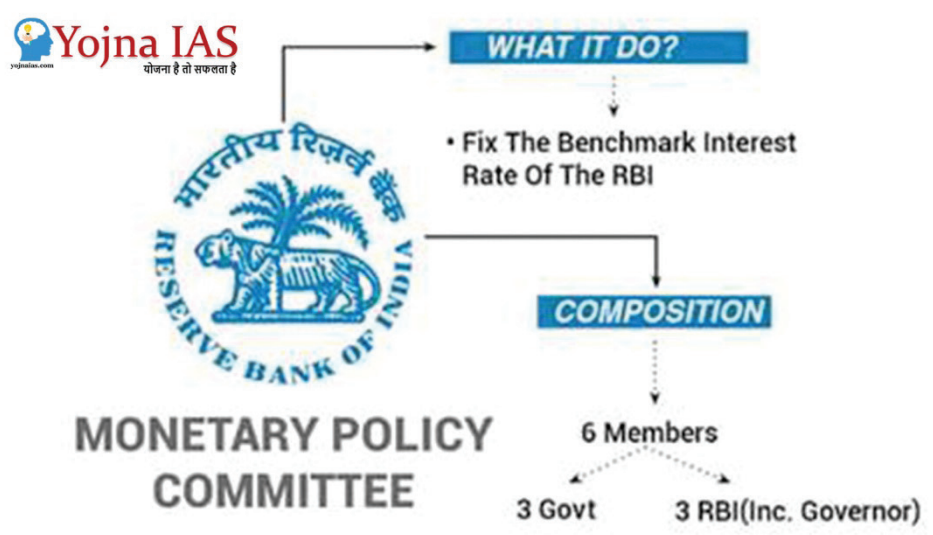

- मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है और इस समय मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।
- धारा 45 ZB के अनुसार आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होंगे।
- RBI के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं ।
- मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर है ।
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी इसके सदस्य के रूप में होता है ।
- मौद्रिक नीति समिति में केंद्र सरकार द्वारा तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है ।

- इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों" की नियुक्ति की जाएगी।

मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों का कार्यकाल :

- मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों का कार्यकाल केवल चार साल तक के लिए ही होगा और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति चार वर्षों के लिए ही की जाती है।

वर्तमान में भारत के मौद्रिक नीति समिति के सदस्य :

वर्तमान में भारत के मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य निम्नलिखित है –

- शक्तिकांत दास (आरबीआई के गवर्नर)
- माइकल देबब्रत पात्रा (डिप्टी गवर्नर)
- आशिमा गोयल
- शशांक भिडे
- राजीव रंजन
- जयन्त आर. वर्मा।

मौद्रिक नीति :

- मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है।
- आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। सतत् विकास के लिये मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 में हर पाँच वर्ष में एक बार रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा

मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% + -2%) निर्धारित करने का भी प्रावधान है।

मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य :

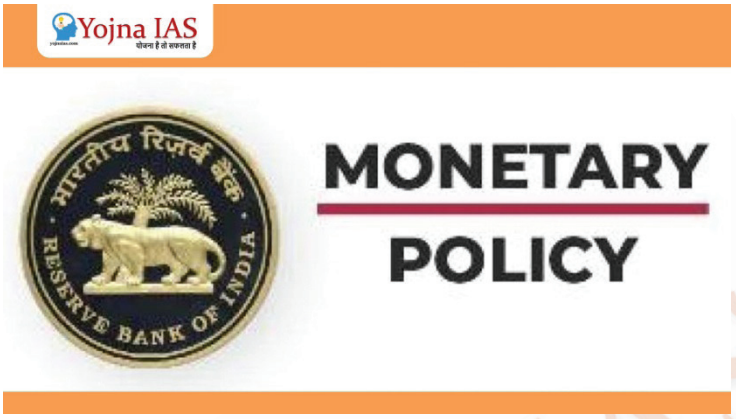

मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
- सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक शर्त है।
- मौद्रिक नीति समिति का कार्य तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के नागरिकों को तैयार करना भी है।
- मौद्रिक नीति समिति का कार्य मुद्रास्फीति को एक निश्चित स्तर (4 % +/- 2%) तक बनाए रखना भी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4% (2% के विचलन के साथ) पर रखने के लिए जिम्मेदार है।
- रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर में सुधार करना भी मौद्रिक नीति समिति का कार्य है ।
- नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करना करना भी मौद्रिक नीति समिति का कार्य है ।
- मौद्रिक नीति समिति का कार्य उचित मूल्य स्थिरता (reasonable price stability) प्रदान करना भी है ।
- व्यापर चक्र को स्थिर रखना भी मौद्रिक नीति समिति का कार्य है ।
- मौद्रिक नीति समिति का कार्य एक्सचेंज रेट स्टैबिलिटी पर ध्यान देना भी है ।
- अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी प्रदान करना भी मौद्रिक नीति समिति का कार्य है।
- मौद्रिक नीति समिति का कार्य देश में रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करना भी शामिल है।

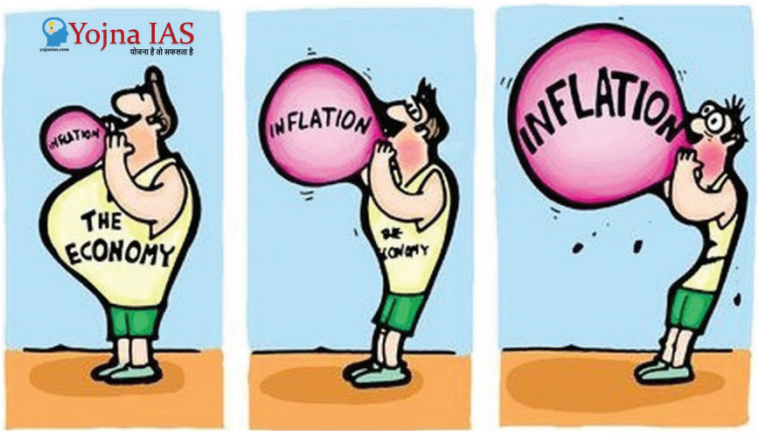

भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग शब्दावली :

रेपो दर :

- वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों-रात चलनिधि प्रदान करता है।

रिवर्स रेपो दर :

- वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत बैंकों से प्रतिदिन के आधार पर तरलता प्राप्त करता है।

तरलता समायोजन सुविधा :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) में प्रतिदिन के साथ ही सावधि रेपो नीलामियाँ शामिल हैं।
- सावधि रेपो का उद्देश्य इंटरबैंक सावधिक मनी मार्केट के विकास में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिये बाज़ार आधारित बेंचमार्क निर्धारित कर सकता है तथा इस प्रकार मौद्रिक नीति के हस्तांतरण में सुधार करता है।
- RBI परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी आयोजित करता है, जैसा कि बाज़ार की स्थितियों के तहत आवश्यक है।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) :

- यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाइट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं।
- यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व का कार्य करती है।

कॉरिडोर :

- MSF दर और रिवर्स रेपो दर भारित औसत कॉल मनी दर में दैनिक संचलन के लिये कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं ।

बैंक दर :

- यह वह दर है, जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिये तैयार है। बैंक दर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की गई है।
- यह दर MSF दर से जुड़ी हुई है और इसलिये जब MSF दर पॉलिसी रेपो रेट के साथ बदलती है तो स्वचालित रूप से परिवर्तित होती है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) :

- निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिज़र्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है और इसे रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) :

- निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को अभारित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं स्वर्ण जैसी सुरक्षित व चल आस्तियों में रखना होता है।
- SLR में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र के लिये उधार देने की बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है ।

खुला बाज़ार परिचालन (OMO) :

- इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री, टिकाऊ चलनिधि डालना/ अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल हैं।

बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS) :

- भारत में मौद्रिक प्रबंधन के लिए इसको वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था ।
- इसमें बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष चलनिधि को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और राजस्व बिलों की बिक्री के जरिए अवशोषित किया जाता है।
- जुटाए जाने वाली नकदी को रिज़र्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।

निष्कर्ष / समाधान :

- बाहरी सदस्य सरकार के नामांकित व्यक्ति होते हैं जिनकी नियुक्ति एक खोज सह चयन समिति की सिफारिशों

के आधार पर की जाती है जिसमें कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष), आरबीआई गवर्नर और आर्थिक मामलों के विभाग (केंद्रीय वित्त मंत्रालय) के सचिव शामिल होते हैं। नामांकित सदस्यों को अर्थशास्त्र, बैंकिंग या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए।

- एमपीसी के नामांकित व्यक्ति चार साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। आरबीआई सांसदों, विधायिकाओं, लोक सेवकों या आरबीआई के कर्मचारी/समिति सदस्यों या आरबीआई के साथ हितों के टकराव वाले किसी भी व्यक्ति या 70 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक लगाता है।
- केंद्र सरकार कुछ शर्तों के अधीन और यदि स्थिति की आवश्यकता हो तो एमपीसी से अपने नामांकित व्यक्तियों को हटाने की शक्तियां भी बरकरार रखती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति छह वर्षों के लिए ही की जाती है।
2. मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है।
3. भारत में मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिए बाध्यकारी होता है।
4. मौद्रिक नीति समिति का सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं ।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 2, 3 और 4

(C) केवल 1 और 4

(D) केवल 2 और 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि भारतीय अर्थव्यस्था के विकास में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति तरलता समायोजन सुविधा और सांविधिक चलनिधि अनुपात को किस तरह प्रभावित करती है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें ।